हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1994-95

NIEPA DC
D09713

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-9713
Date 05-11-97

Review of the Annual Administrative Report of Higher Education for the year 1994-95.

During the period under report, the expansion of Higher Education continued both on the quantitative and qualitative sides. The number of colleges which was 45 in 1966 increased to 145 (Govt. Colleges 43, Non-Govt. Colleges 102) during the year 1994-95. Out of these, there were 17 colleges of Education for providing Teacher Training, Other than this, one new Non-Govt. College, i.e. D.A.V. College for Women Kosli (Rewari) also started functioning during 1994-95. 2 Universities and three post Graduate Regional Centres also functioned in the State during the period under Report.

The demand for Higher Education was on the rise and the same was reflected in the number of students opting for Higher Education. A total of 131714 students received Higher Education (General) in the Colleges and the Universities of the State during 1994-95. Out of which, number of Girl students was 54038. A total of 3727 students were enrolled in the Colleges of Education during the year 1994-95, out of which 2223 were Girls.

An expenditure of a sum of Rs. 8406.77 Lacs was incurred on Higher Education during the year 1994-95. Government provides generous grants to Non-Govt. Colleges in the shape of grant in-aid to the ture of 95% of the deficit on the salary of their staff. An amount of Rs. 27.00 crores was provided as grant-in-aid to the Non-Govt. Colleges during the period under report. Similarly a sum of Rs. 19.40 crores was given as grant to the Universities in the year 1994-95. In addition to this the Department also provided grant of a sum of Rs. 42.00 lacs to other institutions.

Under the various Schemes of scholarships and financial aid of both the Govt. of India and the State Govt. an amount of Rs. 145.61 lacs was spent for the benefit of 11781 students during the period under report. Out of this a sum of Rs. 114.83 lacs was spent for the benefit of 9217 students belonging to the Scheduled castes and Backward classes.

Libraries are an integral part of Education. During the period under report one Central State Library, 11 District Libraries and 12 Sub-Divisional Libraries were functioning in the State.

During the reporting period a book fair was organised in the State for the first time with the help of National Book Trust of New Delhi. In all, during this period 17 book exhibitions were organised. The library Drive was taken to the rural areas through the medium of Mobile Libraries.

During the period under report, an amount of Rs. 150.00 lacs was provided for various construction works of Govt. Colleges buildings.

The language cell of the Directorate translated 2460 standard pages from English to Hindi during the year 1994-95.

The Department made strenous efforts for the qualitative improvement in the field of Higher Education. During the year 1994-95, 136 lecturers were imparted in service training, 26 Principals and 26 Librarians were also imparted special training in NIPA, New Delhi.

During the period under report 67 women lecturers were imparted special training under the Educational Programme for women's equality. Other than this as a part of this programme 60 girl students were taken on tour of other states on Govt. expenditure.

Under the scheme of NCC cadets are imprarted training in all the three units i.e. army, Navy and Air force in addition to sports adventure activities, social service, Cultural Activities and other matter of administration. The authorised strength of cadets in the senior division of NCC was 12,280 during the period under report. A sum of Rs. 250.57 lacs was privided for NCC during the year 1994-95. Similarly, the NSS programme is being run in the State for the allround development of student volunteers. During the period under report, the sanctioned strength of NSS volunteers was 45000 in the Universities and the Colleges of the States.

Haryana Sahitya Academy is functioning in the State for the encouragement of Literary activities. Besides encouraging litrary activity in all the languages of the State, this Acedemy also encourages research in the Literary and Cultural traditions of Haryana. The Academy also sets guidelines and Policies for the preparation of books in Hindi at the Univrsity level, During the period under report, Collections of stories, poems, one Act

Plays Essays in Hindi and punjabi were published. The Academy also provided financial help to the tune of Rs. 40,000/- to the writers for publishing 10 books in the year 1994-95. A Literary function in Hindi, Haryanvi, Sanskrit and Punjabi writers seminars, poetical symposium and book competitions were also organised for encouraging the writers of Hindi, Haryanvi, Punjabi and Sanskrit in the year 1994-95. Books of the gross value of Rs. 7.40 lacs were sold during the year 1994-95.

Sh. Phool Chand Mullana was the Minister of Education, Sh. R.L. Sudhir, I.A.S., Financial Commissioner & Secretary to Govt. Haryana held the charge of Education Department and Smt. Shakuntla Jakhu, I.A.S., worked as the Director of Higher Education during the period under report.

Sd./-

(R.L.SUDHIR)
Financial Commissioner & Secretary to
Govt. Haryana, Education Department.

उच्चतर शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 1994–95 की समीक्षा।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिणात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से विस्तार किया। महाविद्यालयों की संख्या जो कि वर्ष 1966 में 45 थी, वर्ष 1994–95 में बढ़कर 145 (राजकीय–43, गैर सरकारी 102) हो गई। इन में से 17 शिक्षण महाविद्यालय थे जो अध्यापकों को को प्रशिक्षण देते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1994–95 के दौरान एक नया अराजकीय महाविद्यालय डी० ए० वी० महिला महाविद्यालय कोसली (रिवाड़ी) में खोला गया। इनके अतिरिक्त राज्य में रिपोर्टाधीन अवधि में दो विश्वविद्यालय तथा तीन स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र भी कार्य कर रहे थे।

उच्चतर शिक्षा की मांग बढ़ती रही और यह तथ्य उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिबिम्बित हुआ। वर्ष 1994–95 के दौरान राज्य के महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कुल 1,31,714 विद्यार्थियों ने शिक्षा (सामान्य) ग्रहण की, जिन में से 54038 छात्राएं थी। वर्ष 1994–95 के दौरान शिक्षण महाविद्यालयों में कुल 3727 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया जिन में 2223 छात्राएं थी।

वर्ष 1994–95 के दौरान उच्चतर शिक्षा पर 8406.77 लाख रुपये खर्च किये गये। सरकारी सहायता अनुदान के रूप में गैर सरकारी महाविद्यालयों को उनके अमले के वेतन पर हुए खर्च के घाटे का 95 प्रतिशत तक पर्याप्त अनुदान देती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में 27.00 करोड़ रुपये की राशि दी गई। इसी प्रकार वर्ष 1994–95 के दौरान विश्व-

विद्यालयों को अनुदान के रूप में 19.04 करोड़ रुपये की राशि दी गई। इसके अतिरिक्त विभाग ने अन्य संस्थाओं को भी 42.00 लाख रुपये की राशि दी।

भारत सरकार तथा राज्य सरकार की छात्रवृति एवं वित्तीय सहायता सम्बन्धी विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 11781 विद्यार्थियों के लाभ के लिये 145.61 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इस में से 114.83 लाख रुपये की राशि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित 9217 विद्यार्थियों को लाभ देने हेतु खर्ची गई।

पुस्तकालय शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में एक केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, 11 जिला पुस्तकालय तथा 12 उप-मण्डल पुस्तकालय चल रहे थे। रिपोर्टाधीन अवधि में नेशनल बुक ट्रस्ट आफ नई दिल्ली के सहयोग से राज्य में पहली बार हरियाणा पुस्तक परिक्रमा का आयोजन किया गया। इस अवधि में कुल मिलाकर 17 पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में चलते फिरते पुस्तकालयों के माध्यम से पुस्तकालय अभियान का प्रचार किया।

रिपोर्टाधीन अवधि में राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये 150.00 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

भाषा कक्ष ने वर्ष 1994–95 में 2460 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी स हिन्दी में अनुवाद किया।

विभाग ने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने हेतु भरसक प्रयास किये। वर्ष 1994–95 में 136 प्राध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। 26 प्राचार्यों तथा 26 पुस्तकाध्यक्षों को विशेष प्रशिक्षण नीपा द्वारा नई दिल्ली में दिलवाया गया।

रिपोर्टाधीन अवधि में महिला समानता कार्यक्रम के अन्तर्गत 67 महिला प्राध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त इस प्रोग्राम

के अन्तर्गत 60 छात्राओं को राज्य सरकार के खर्च पर दूसरे राज्यों के भ्रमण पर ले जाया गया।

राष्ट्रीय कैडेट कोर स्कीम के अन्तर्गत कैडेटों को खेलकूद, खोज क्रिया-कलापों, सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक कार्यों और प्रशासन सम्बन्धी अन्य मामलों के अतिरिक्त सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों यूनिटों में प्रशिक्षण दिया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर के वरिष्ठ अनुभाग में कैडेटों की प्राधिकृत संख्या 12,280 थी। वर्ष 1994-95 के दौरान एन० सी० सी० के लिये 250.57 लाख रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया था। इसी प्रकार स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास के लिये राज्य में राष्ट्रीय सेवा स्कीम कार्यक्रम चलाया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा स्कीम के स्वयं सेवकों की स्वीकृत संख्या 45,000 थी।

साहित्यिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिये राज्य में "हरियाणा साहित्य अकादमी" कार्यरत है। राज्य की सभी भाषाओं के साहित्यिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त यह अकादमी हरियाणा की साहित्य और सांस्कृतिक परम्पराओं के सम्बन्ध में अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करती है। यह अकादमी विश्वविद्यालय स्तर तक हिन्दी में पुस्तकें तैयार करने के लिये मार्गनिर्देश और नीतियां भी बनाती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, हिन्दी पंजाबी की कहानियों, कविताओं, एकांकियों और निबन्धों के संग्रहों का प्रकाशन किया गया। वर्ष 1994-95 के दौरान अकादमी द्वारा 10 पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये लेखकों को 40,000/- रुपये की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 1994-95 में हिन्दी, हरियाणवी, संस्कृत और पंजाबी लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिये हिन्दी, हरियाणवी, संस्कृत और पंजाबी के साहित्यिक समारोह, सैमीनार, कविता पाठ और पुस्तक प्रतियोगितायें आयोजित की गई। वर्ष 1994-95 के दौरान 7.40 लाख रुपये कुल मूल्य की पुस्तकें बेची गई।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान श्री फूलचन्द मुलाना शिक्षामन्त्री श्री आर० एल० सुधीर, आई० ए० एस० वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग और श्रीमती शकुन्तला जाखू, आई० ए० एस०, निदेशक उच्चतर शिक्षा के पदों पर आसीन रहे।

हस्ता/—
आर० एल० सुधीर,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग।

उच्चतर शिक्षा की वर्ष 1994–95 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1994–95 की अवधि में उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षामन्त्री श्री फूल चन्द मुलाना के पास रहा। शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद पर श्री आर० एल० सुधीर, आई० ए० एस० तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्रीमती धीरा खण्डेवाल, आई० एस० एस० ने कार्य किया।

निदेशालय स्तर

निदेशक उच्चतर शिक्षा के पद पर श्रीमती शकुन्तला जाखू, आई० ए० एस० ने कार्य किया। निम्नलिखित पदों पर अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये निदेशक उच्चतर शिक्षा को सहयोग दिया।

क्रमांक	पद	पदों की संख्या
1.	संयुक्त निदेशक महाविद्यालय	1
2.	प्रशासन अधिकारी	1
3.	उप निदेशक महाविद्यालय	5
4.	आफिसर आन स्पैशल ड्यूटी	1
5.	मुख्य लेखा अधिकारी महा0	1
6.	सहायक निदेशक महाविद्यालय	5
7.	लेखा अधिकारी महाविद्यालय	1
8.	रजिस्ट्रार शिक्षा	1

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय :-

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्यक्ष रूप में सुचारू रूप से प्रशासन तथा उच्चतर शिक्षा के विकास के लिये निदेशक उच्चतर शिक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं। परन्तु गैर सरकारी महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्धक समितियां ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति को अपनाते हैं।

शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1994–95 में महाविद्यालय शिक्षा पर 8406.77 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। इसमें से योजनोत्तर पक्ष पर 7537.57 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 869.20 लाख रुपये व्यय हुए। वर्ष 1993–94 में यह व्यय 7390.83 लाख रुपये था जिस में से योजनेत्तर व्यय 6644.84 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 745.99 लाख रुपये था।

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान

अराजकीय महाविद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिये सरकार उदारतापूर्वक अनुदान देती है। अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत राज्य सरकार अराजकीय महाविद्यालयों को उनके घाटे का 95 प्रतिशत तक अनुदान देती है। केवल यही नहीं अराजकीय महाविद्यालयों को उनके विकास के लिये भी सहायता समय–समय पर दी जाती रही है। रिपोर्टाधीन अवधि में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को शिक्षा एवं शिक्षा विकास कार्यक्रमों के लिये निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं :—

	(राशि लाख रुपयें में)
1. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक	795.00
2. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	1144.51
3. अराजकीय महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	2700.00

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य संस्थाओं को भी विभाग द्वारा अनुदान दिये गये :—

संस्था का नाम	(राशि लाख रुपये में)
1. हरियाणा साहित्य अकादमी	26.00
2. हरियाणा उर्दू अकादमी	16.00

अराजकीय महाविद्यालयों में प्रशासकों की नियुक्ति

यदि किसी अराजकीय महाविद्यालय की प्रबन्धक समिति उचित तौर पर कार्य नहीं करती है तो सरकार उस महाविद्यालय का अधिग्रहण करके उसमें प्रशासक नियुक्त कर देती है। रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रशासक नियुक्त किये गये :—

1. अखिल भारतीय जाट वीर स्मारक महाविद्यालय रोहतक।
2. सी0 आर0 शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक।
3. एम0 के0 जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक
4. टीकाराम शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत
5. टीका राम महिला महाविद्यालय, सोनीपत
6. सी0 आर0 ए0 महाविद्यालय, सोनीपत।

अध्याय दूसरा

महाविद्यालय शिक्षा (सामान्य)

वर्ष 1994–95 में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	लड़के	लड़कियां	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	39	3	42
अराजकीय महाविद्यालय	49	37	86
जोड़	88	40	128

रिपोर्टाधीन अवधि में केवल एक नया महाविद्यालय डी. ए. वी. महिला महाविद्यालय कोसली (रिवाड़ी) में खोला गया।

पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैंन्टरज

राज्य सरकार इस बात के लिये सजग है कि जब तक उच्चतर शिक्षा में ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती कि वह छात्रों के बहमुखी विकास के लिये सहायक हो, उच्चतर शिक्षा सार्थक नहीं हो सकती। इसके लिये एक पोस्ट ग्रेजुएट रिजनल सैन्टर रिवाड़ी में पहले से ही कार्यरत है। राज्य सरकार ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधीन दो पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैन्टर (हिसार तथा सिरसा) स्थापित करने का पूर्व वर्षों में निर्णय लिया था। वर्ष 1994–95 में पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैन्टर, हिसार जिसमें विभिन्न निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से किये गये, सैंन्टर की मास कम्यूनिकेशन इनवायरनमैन्ट साईसिंस, बिजनैस इकनामिक, एप्लाईड मैथेमैटिक्स की गैस्ट कक्षायें कुरुक्षेत्र मैन कैम्पस में आरम्भ की गई थी तथा एल. एल. बी. की कक्षायें सी0 आर0 एम0 जाट कालेज हिसार में आरम्भ की। इसी प्रकार सिरसा सैन्टर की बी0 एड0 की गैस्ट कक्षायें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मैन कैम्पस में आरम्भ की गई।

हिसार सैन्टर के निर्माण कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने तथा इनकी गैस्ट कक्षायें इसी सैन्टर में वर्ष 1995–96 से स्थानान्तरित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस सैन्टर को वर्ष 1994–95 में राज्य सरकार ने 310.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की।

राज्य में महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में वर्ष 1994–95 की अवधि में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार रही है :—

(क) कुल छात्र संख्या

	लड़के	लड़कियां	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	29421	11978	41399
अराजकीय महाविद्यालय	44914	40087	85001
विश्वविद्यालय	3341	1973	5314
जोड़	77676	54038	131714

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या

	लड़के	लड़कियां	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	3229	474	3703
अराजकीय महाविद्यालय	3643	876	4519
विश्वविद्यालय	472	101	573
जोड़	7344	1451	8795

रिपोर्टाधीन अवधि में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

कुल अध्यापक

	पुरुष	महिला	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	1153	763	1916
अराजकीय महाविद्यालय	1649	1233	2882
विश्वविद्यालय	528	175	703
जोड़	3330	2171	5501

अनुसूचित जाति के अध्यापक	पुरुष	महिला	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	34	22	56
अराजकीय महाविद्यालय	10	42	52
विश्वविद्यालय	13	6	19
जोड़	57	70	127

सहशिक्षा

हरियाणा राज्य में लड़कों के सभी महाविद्यालयों में लड़कियों को भी पढ़ने की अनुमति है।

अल्प संख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को विशेष सुविधाएं

शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्प संख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्चतर शिक्षा के लिये साईकिल तथा स्टेशनरी की सुविधा देने हेतु प्रति

वर्ष एक लाख रुपये की राशि का योजना बजट में प्रावधान करवाया जाता है।

वर्ष 1994–95 में भी इस उद्देश्य के लिये एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। यह राशि प्रति छात्र 100 रुपये की दर से स्टेशनरी के लिये तथा प्रति छात्र 1200 रुपए की राशि दूरदराज से आने वाले छात्रों को साईकिल की खरीद हेतु वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। वर्ष 1994–95 में 56 छात्रों को साईकिल तथा 56 छात्रों को स्टेशनरी दी गई।

सीनियर स्केल/सिलैक्शन ग्रेड

वर्ष 1994–95 में राजकीय महाविद्यालयों के 28 प्राध्यापकों को 3000/5000 रुपये का सीनियर स्केल प्रदान किया गया।

अध्याय तीसरा

छात्रवृति तथा वित्तीय सहायता

योग्य विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिये राज्य तथा भारत सरकार को भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को भी शिक्षा प्राप्ति के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इन छात्रवृतियों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है ।

1. भारत सरकार की राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृति

मैट्रिक उपरान्त महाविद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य विद्यार्थियों को उत्साहित करने के लिये भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को 60 रुपये से 300 रुपये तक की मासिक दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वर्ष 1994–95 को अवधि में 1334 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की तथा इस पर 13.07 लाख रुपये व्यय हुये । वर्ष 1993–94 में 1412 छात्रवृतियां प्रदान की गई तथा इस पर 13.08 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत उन विद्यार्थियों को जिन के माता-पिता की वार्षिक आय 25000 रुपये से अधिक है, 100 रुपये का नोशनल पारितोषिक तथा प्रमाण-पत्र दिया गया ।

2. भारत सरकार की मैट्रिक उपरान्त अनुसूचित जाति छात्रवृति

इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न कक्षाओं/कोर्सों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 30

रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 18000 रुपये तक है उन्हें पूरी दर से छात्रवृत्ति दी जाती है और जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 18001 से 24000 रुपये है और उन्हें आधी दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 में 5797 छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्तियां दी गई तथा 96.37 लाख रुपये व्यय हुए। वर्ष 1993–94 में 11452 छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्तियां दी गई तथा 141.73 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी।

3. राज्य योग्यता छात्रवृति

इस योजना के अन्तर्गत योग्य हरियाणवी विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरान्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने के लिये 50 रुपये से लेकर 300 रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वर्ष 1994–95 में 884 छात्रवृत्तियां दी गई तथा इन छात्रवृत्तियों पर 10.15 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष 1993–94 में 1070 छात्रवृत्तियों पर 12.88 लाख रुपये व्यय किये गये थे।

4. राज्य कल्याण योजना अधीन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृतियां

हरियाणा राज्य कल्याण योजना के अधीन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिये विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृतियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इन छात्र/छात्राओं को विभिन्न कोर्सों और कक्षाओं में पढ़ने हेतु 30 रुपये से 185 रुपये मासिक दर से छात्रवृतियां दी जाती हैं। वर्ष 1994–95 में इस योजना के अन्तर्गत 3420 छात्रवृतियां दी गई तथा 18.46 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 1993–94 में 5373 छात्रवृतियों पर 23.50 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी।

5. अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृति

हरियाणा में विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृति देने की व्यवस्था है। यह छात्रवृति 50 रुपये से 170 रुपये तक मासिक दर में दी जाती है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 25000 रुपये से कम है। वे छात्र ही इस छात्रवृति के पात्र हैं। वर्ष 1994–95 में 22 छात्रवृतियां दी गई तथा उन पर 5500 रुपये व्यय किये गये। वर्ष 1993–94 में 24 छात्रवृतियों पर 8500 रुपये व्यय किये गये थे।

6. अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृतियां

इस योजना के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिये 2000 रुपये के या इस से कम वार्षिक आय वर्ग के अभिभावकों के बच्चों को (2400 रुपये की आय सीमा इंजीनियरिंग/मैडीकल/कृषि/पशुपालन के कोर्सों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिये) 27 रुपये से लेकर 75 रुपये मासिक दर से छात्रवृतियां दी जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा शुल्क तथा अन्य अनिवार्य फण्ड तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। वर्ष 1994–95 में इस के अन्तर्गत 15 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया तथा 11599 रुपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 1993–94 में 31 विद्यार्थियों पर 11599 रुपये व्यय किये गये थे।

8. विमुक्त जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृति

विमुक्त जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृतियां देने के लिये अलग से विमुक्त जाति योजना चल रही है। वर्ष 1994–95 में इस योजना पर 749 रुपये व्यय किये गये तथा एक विद्यार्थी को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1993–94 में 8 छात्रवृतियों पर 4982 रुपये व्यय किये गये थे।

9. लड़कियों के लिये मुफ्त शिक्षा

दिनांक 1–8–91 से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी तथा

गैर सरकारी महाविद्यालयों के स्नातक स्तर तक पढ़ने वाली छात्राओं से कोई फीस न ली जाये ।

10. हरियाणा राज्य रजत जयन्ती योग्यता छात्रवृति

यह छात्रवृति योजना वर्ष 1993–94 में हरियाणा राज्य के गठन के 25 वर्ष परे होने की खुशी में आरम्भ की गई । इस योजया के अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने के लिये 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक मासिक दर से छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1994–95 में 308 छात्रवृतियां दी गई तथा इन छात्रवृतियों पर 7.37 लाख रुपये व्यय किये गये । वर्ष 1993–94 में 245 छात्रवृतियां पर 4.93 लाख रुपये व्यय किये गये थे।

11. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति योजना

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गरीव माता-पिता के योग्य छात्रों को जो कम से कम 50% अंक प्राप्त करते हैं उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृति ऋण के रूप में दी जाती है। यह छात्रवृति उन छात्रों को दी जाती है जिन के माता-पिता की वार्षिक आय 5000 रुपए से कम है । वर्ष 1994–95 में इस छात्रवृति के लिये 20,000 रुपये की व्यवस्था की गई । इतनी ही राशि की व्यवस्था वर्ष 1993–94 में की गई थी। जिसे ऋण वेव आफ तथा पुर्नवित्त पर व्यय किया गया था। वर्ष 1994–95 में 96860 रुपये की राष्ट्रीय ऋण छात्रवृतियों की रिकवरी की गई ।

अध्याय चौथा

विविध

शिक्षा महाविद्यालय (अध्यापक प्रशिक्षण)

राज्य में अध्यापक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है। इस समय राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण के लिये 17 शिक्षा महाविद्यालय स्थापित हैं। इन शिक्षा महाविद्यालयों में कला स्नातकों एवं विज्ञान/गणित स्नातकों के लिये सीटों का बंटवारा 50:50 अनुपात में किया हुआ है। रिपोर्टाधीन अवधि में इन शिक्षा महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1504 लड़के तथा 2223 लड़कियां थीं।

इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण की कक्षाएं भी चलती है। रिपोर्टाधीन अवधि में 115 लड़के तथा 6 लड़कियों ने शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

पुस्तकालय

इस समय राज्य में एक सैन्ट्रल स्टेट लाईब्रेरी अम्बाला, 11 जिला पुस्तकालय एवं 12उप मण्डल पुस्तकालय कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1994-95 में उप मण्डल पुस्तकालय आदमपुर खोला गया तथा 4 वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्षों के पद जिला पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत किये गये।

पुस्तकालय में पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिये सरकार द्वारा 4 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई तथा इतनी ही राशि राजाराम मोहन राय कलकत्ता से मैचिंग राशि के रूप में प्राप्त करके तथा इस राशि से पुस्तकें खरीदकर सार्वजनिक/नगरपालिका पुस्तकालयों में भेजी गई।

सार्वजनिक पुस्तकालयों में फर्नीचर की दयनीय दशा को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पहली बार सरकार से फर्नीचर खरीदने हेतु 2.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करवाई गई तथा फर्नीचर भी पुस्तकालयों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाया जा चुका है।

सरकार स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा गांव/गन्दी बस्तियों में चलाई जा रही पुस्तकालयों को सहायता अनुदान देने के लिये 50,000 रुपए की राशि 10 पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें खरीदने हेतु भेजी गई।

नैशनल बुक ट्रस्ट आफ नई दिल्ली के सहयोग से राज्य में पहली बार दिनांक 31-8-94 से 31-12-94 तक हरियाणा पुस्तक परिक्रमा का आयोजन किया गया, 17 स्थानों पर पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई तथा ग्रामीण क्षेत्र में चलते फिरते पुस्तकालयों के माध्यम से पुस्तकालय अभियान का प्रचार किया गया।

विभाग द्वारा पहली बार नैशनल इन्स्टीच्यूट आफ प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के सहयोग से कार्यरत पुस्तकालयों के लिये दिनांक 26-12-94 से 31-12-94 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया।

निदेशक पुस्तकालय में सरकार द्वारा उप निदेशक पुस्तकालय का पद स्वीकृत किया गया जिस पर श्री आर. पी. शर्मा पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है।

राज्य के जिला पुस्तकालयों/उप मण्डल पुस्तकालयों के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये विभागीय बजट में वर्ष 1994-95 के लिये 5.00 लाख रुपये की राशि व्यवस्थित है। इस राशि को जिला पुस्तकालय करनाल के भवन निर्माण पर तथा पिछले चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने पर खर्च किया जा रहा है। वर्ष 1995-96 में विभागीय बजट में यदि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हुई तो जिला पुस्तकालय सोनीपत के भवन निर्माण का कार्य हाथ में लिये जाने की संभावना है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

भारत सरकार ने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा प्राप्ति के विकास के उद्देश्य से नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

यह विश्वविद्यालय राज्य के महाविद्यालयों में अपने अध्ययन केन्द्र भी खोल रहा है। इन केन्द्रों को चलाने का सारा खर्च इस विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जाता है। महाविद्यालय इन केन्द्रों को सायंकाल को मुफ्त भवन भी उपलब्ध करवाता है। इन केन्द्रों के खुलने से ऐसे लोगों को उच्चतर शिक्षा के अवसर प्रदान हो सकेंगे जो कि दिन प्रतिदिन की जीविका कमाने के साथ उच्चतर शिक्षा भी ग्रहण करना चाहते हैं परन्तु महाविद्यालयों में नियमित रूप में दाखिला प्राप्त नहीं कर सकते या सामर्थ्य नहीं रखते। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में 9 महाविद्यालयों में ये केन्द्र चल रहे है।

राजकीय महाविद्यालयों की मुरम्मत तथा निर्माण कार्य

राज्य के राजकीय महाविद्यालयों के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये वर्ष 1994–95 के विभागीय बजट में योजना पक्ष पर 150.00 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। चालू वित्त वर्ष 1994–95 में राजकीय महाविद्यालय पंचकूला का साईंस ब्लाक, द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुड़गांवा तथा राजकीय महाविद्यालय सिधरावली के लाईब्रेरी ब्लाक, राजकीय महाविद्यालय महम, हिसार तथा सिधरावली के स्टाफ क्वाटर एवं राजकीय महाविद्यालय जीन्द के छः कक्षा कक्ष के निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में इस समय नये विज्ञान ब्लाक, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुस्तकालय भवन, चार दिवारी तथा जनस्वास्थ्य सुविधायें इत्यादि के कार्य चल रहे हैं।

वर्ष 1995–96 में पिछले चल रहे निर्माण कार्यों को पूर्ण करवाया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद का नया भवन तथा राजकीय महाविद्यालय कालका, बावल तथा नारायणगढ़ के साईस ब्लाकों के निर्माण कार्य आरम्भ करवाये जायेंगे।

उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय कमेटी

विश्वविद्यालयों से संबंधित मामले उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय समिति द्वारा विचारे जाते हैं। जिनकी बैठकों की अध्यक्षता राज्यपाल महोदय जी जो कि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, करते हैं। इसके अतिरिक्त इस समिति की एक उप

समिति निदेशक उच्चतर शिक्षा महोदय की अध्यक्षता में गठित की गई है जिनकी बैठकों में विश्वविद्यालय के मामलों पर विचार विमर्श किया जाता है। तत्पश्चात मामले उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय समिति की बैठक में लिये जाते हैं।

भाषा अनुभाग

भाषा अनुभाग हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों/निगमों आदि से प्राप्त प्रशासनिक सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी भाषा में अनुवाद करता है। इसमें राज्यपाल का अभिभाषण, वित्त मन्त्री का भाषण, वित्त सचिव का ज्ञापन, बजट अनुमान संबंधी सामग्री, विभागों से प्राप्त प्रशासनिक रिपोर्टों, अधिसूचनाओं वित्त तथा सेवा नियमों/विभागीय नियमों, मैनुअल कोडेस, पत्र प्रपत्र, फार्म तथा मन्त्री परिषद की प्रस्तुत होने वाले ज्ञापनों की अंग्रेजी से हिन्दी भाषा में अनुवाद सम्मिलित है। वर्ष 1994-95 की अवधि में लगभग 2460 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया गया।

महिला समानता के लिए शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत महिला समानता के लिए शिक्षा की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। इसके लिये निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनायें तैयार की गई तथा कार्यान्वित की गई :—

1 महिला प्राध्यापकों के लिए राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण

महिलाओं का आत्म सम्मान और आत्म विश्वास बढ़ाने, समालोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करने, देश के विकास में सहभागी होने के लिये सक्षम करने हेतु यह कार्य महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिये महिला सैल स्थापित करके आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। इसे कार्यन्वित करने से पूर्व यह आवश्यक समझा गया कि महिला सैल के लिये जिन प्राध्यापकों को इन्चार्ज बनाया जाना है उन्हें परिवर्तन के एजैन्ट के रूप में तैयार किया जाये। इसके लिये 67 महिला प्राध्यापकों को एक सप्ताह (24-12-94 से 30-12-94) का विशेष प्रशिक्षण दिसम्बर 1994 में

राजकीय महाविद्यालय गुड़गांवा में दिया गया। इसका आयोजन राष्ट्र स्तर के विषय विशेषज्ञों को बतौर रिसोर्स परसन्ज आमन्त्रित करके किया गया। इसके लिये हरियाणा देश का प्रथम राज्य था । इसके लिए राज्य सरकार ने 85000 रुपये की व्यवस्था की थी।

2. छात्राओं के लिए सरकारी खर्चे पर भ्रमण का कार्यक्रम

इस कड़ी में राज्य के 6 महाविद्यालयों से लगभग 60 छात्राओं को 21–2–95 से 27–2–95 तक सरकारी खर्चे पर दूसरे राज्यों में भ्रमण पर ले जाया गया। इन्होंने महिला विकास के कार्यक्रमों से अवगत करवाया गया था उनमें आत्मविश्वास/आत्मसम्मान निर्णय लेने की क्षमता को विकसित किया गया। इसके लिये राज्य सरकार ने 65000 रुपये की व्यवस्था की थी ।

शैक्षिक सर्वेक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत वर्ष 2000 तक उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं तथा वर्तमान सुविधाओं पर एक सर्वेक्षण करवाने की प्रस्तावना की गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने वर्ष 1994–95 में ऐसा सर्वेक्षण करवाने का विभाग का प्रस्ताव अनुमोदित किया और इसके लिये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 1.00 लाख रुपये की राशि जनवरी 1995 में रिलीज की गई । यह सर्वेक्षण कार्य छः मास की अवधि में पूरा किया गया ।

वर्तमान महाविद्यालयों में पुस्तकालय सुविधाओं को सुदृढ़ करना, स्टाफ/छात्रों के लिए न्यूनतम सुविधाए उपलब्ध करना।

वर्ष 1994–95 में हर वर्ष चुने हुए देहाती क्षेत्र में तीन राजकीय महाविद्यालयों तथा दो शहरी क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय, सुविधा, स्टाफ तथा दूसरे छात्रों के लिये न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना तैयार की गई तथा कार्यान्वित की गई। इस योजना के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय पंचकूला, गुड़गांवा, होडल, जटौली, हेलीमण्डी तथा दूजाना को

पुस्तकालयों के लिये 56000 रुपए प्रति कालेज तथा स्टाफ/छात्र सुविधाओं के लिये एक-एक लाख रुपये की राशि प्रत्येक कालेज को अलाट की गई।

प्राध्यापकों की कार्यशालायें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति जागरुकता पैदा करने तथा उसके महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित करवाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहभागिता से तीन-तीन दिवसीय कार्यशालायें राज्य के साथ महाविद्यालय आर्य कन्या महाविद्यालय अम्बाला छावनी, राजकीय महाविद्यालय करनाल, एस. डी. कालेज पानीपत, एम. एल. एन. कालेज यमुनानगर, राजकीय महाविद्यालय हिसार, राजकीय महिला महाविद्यालय रोहतक तथा राजकीय महाविद्यालय गुड़गांवा में आयोजित की गई। प्रत्येक कार्यशाला में 100-100 प्राध्यापकों ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं में प्राध्यापकों के साथ विचारों के आदान-प्रदान हेतु राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, नीपा, यू. जी. सी. इत्यादि ख्याति प्राप्त संस्थाओं में विषय विशेषज्ञों को बतौर रिसोर्स परसनज आमंत्रित किया गया।

प्रथम डिग्री का व्यवसायीकरण बारे

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम डिग्री के व्यवसायीकरण की योजना राज्य सरकारों को सरकुलेट की थी। इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा का व्यवसायिक शिक्षा के साथ जोड़ने से है ताकि छात्र प्रथम डिग्री प्राप्त करने के पश्चात या तो अपना व्यवसाय आरम्भ करने के योग्य हो सकें या संसार में हो रहे नवीनतम परिवर्तनों के दृष्टिगत व्यवसायिक शिक्षा के आधार पर नये-नये व्यवसायों में नियुक्ति हेतु सक्षम हो सकें। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा 11 राजकीय महाविद्यालयों को चुना गया और उनके प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुमोदनार्थ भेजे गये।

राज्य उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

राजकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने हेतु राज्य में एक उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना

की गई है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिये शिक्षक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ताकि शिक्षक नवीनतम परिवर्तनों तथा ज्ञान से परिचित होकर वह ज्ञान सशक्त रूप में आगे छात्रों को दे सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जून/जुलाई 1994 में 136 प्राध्यापकों को चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण राजकीय महाविद्यालय गुड़गांवा में दिया गया। 26 राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 5 दिन (26–10–94 से 30–10–94) का विशेष प्रशिक्षण नीपा नई दिल्ली में दिलवाया गया और इसी प्रकार 26 पुस्तकाध्यक्षों को एक सप्ताह का (24–12–94 से 31–12–94) प्रशिक्षण भी नीपा नई दिल्ली में दिलवाया गया।

इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह हुई कि पहले हम राज्य सरकार के खर्चे पर केवल राजकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करते थे। लेकिन इस वर्ष इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने तथा अराजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी इसमें शामिल करने के उद्देश्य से यू. जी. सी. को सहभागी बनाने के लिये प्रस्ताव भेजा गया और यू. जी.सी. ने प्रशिक्षण का 60 प्रतिशत खर्चा वहन करना स्वीकार कर लिया और इसके लिये 6.00 लाख रुपये की राशि विभाग के लिए रिलीज की गई। इसके दृष्टिगत अगले वर्ष मे इस कार्यक्रम को और बढ़ावा मिलेगा।

अध्याय पांचवां

एन0सी0सी0 और एन0एस0एस0

राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षा प्राप्ति के साथ-साथ उनके बहुरूपी विकास के लिये एन. सी. सी. और एन. एस. एस. योजनायें भी चालू हैं। यह दोनों योजनायें भारत सरकार के मार्गदर्शन/नियमों के अधीन चलायी जाती हैं। भारत सरकार इन दोनों योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता भी देती है। इन दोनों योजनाओं का पृथक-पृथक वर्णन निम्न प्रकार है :—

एन. सी. सी. "राष्ट्रीय कैडिट कोर"

राष्ट्रीय कैडिट कोर योजना वर्ष 1948 में संसद के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। इसके अन्तर्गत विद्यार्थी तीनों शाखाओं जल, स्थल तथा वायु सेनाओं का प्रशिक्षण ग्रहण करने के इलावा खेलकूद, साहसिक कार्य, सामाजिक सेवाएं, सांस्कृति क्रिया कलाप तथा प्रशासन के अन्य मामलों में प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। एन0 सी0 सी0 प्रशिक्षण का लक्ष्य कैडिटों में एकता तथा अनुशासन की भावना जागृत करना है और उनमें भातृत्वभाव, नेतृत्व गुण, सद् चरित्र तथा सहयोग की भावना पैदा की जाती है ताकि वह आपातकाल के समय देश की सेवा करें तथा सेवा की शाखाओं में कमीशन प्राप्त कर सकें।

एन0 सी0 सी0 प्रशिक्षण विद्यार्थी स्वेच्छा से प्राप्त करते हैं। इस प्रशिक्षण पर व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर करती है। वर्ष 1994-95 में एन0 सी0 सी0 के लिए 250.57 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए लड़कों की 12 बटालियन, लड़कियों की 2 बटालियन, 2 वायु स्क्वैड्रन, एक नौसेना यूनिट है तथा एक कम्पनी

सैनिक स्कूल में है। रिपोर्टाधीन अवधि में शाखावार कैडिटों की स्वीकृत संख्या निम्न प्रकार थी।

	शाखाएं	कैडिटों की संख्या
1.	इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिए)	10080
2.	इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कियों	1600
3.	वायु स्क्वेड्रन	400
9.	जल यूनिट	200
		12280

रिपोर्टाधीन अवधि में वार्षिक प्रशिक्षण कैम्पों में 90 अधिकारियों तथा 8269 कैडिटों ने भाग लिया। गणतन्त्र दिवस परेड कैम्प में हरियाणा से 14 कैडिटों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 285 कैडिटों ने रक्त-दान दिया। 17,099 पेड़ लगाये और 219 कैडिटों ने प्रौढ़ शिक्षा में भाग लिया, 576 छात्रों तथा 12 अधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लिया तथा 4 अधिकारियों तथा 3 कैडिटों ने ट्रैकिंग अभियान में भाग लिया। 6 अधिकारियों तथा 271 कैडिटों ने डायरेक्टर जनरल द्वारा आयोजित कैम्प में भाग लिया तथा 255 कैडिटों ने आर्मी यूनिट कैम्प के साथ अटैच किया गया। वर्ष 1994-95 में 2,879 लांच किया तथा 71 कैडिटों ने भाग लिया। 90 कैडिटों ने नौका खींचने/सैलिंग में भाग लिया तथा 159 कैडिटों ने शीप मोडलिंग में भाग लिया। 3 कैडिटों ने पर्वतारोहण अभियान में भाग लिया। 23 अधिकारियों ने प्री-कमीशन प्रशिक्षण में भाग लिया तथा 273 अधिकारियों ने रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिया। रिपोर्टाधीन अवधि में 5 कैडिटों को छात्रवृत्ति देने के लिए सिफारिश की गई तथा 5 कैडिट एन0 डी0 ए0/आई0 ए0 एफ0 के लिये चुने गये।

प्रथम हरियाणा नौसेना युनिट फरीदाबाद को 50,000 रुपये पैरासेल, सक्यूबा गोता इक्यूपमैन्ट/शिप मार्डलिंग का सामान खरीदने के लिये दिये ।

एन0 एस0 एस0 "राष्ट्रीय सेवा योजना"

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास के लिए भारत सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य में एन0 एस0 एस0 कार्यक्रम चालू है । इस कार्यक्रम पर खर्चा 7 : 5 अनुपात में भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर करती हैं । रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में एन0 एस0 एस0 स्वयं सेवकों की स्वीकृत संख्या 45,000 थी । एन0 एस0 एस0 कार्यक्रम राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा पोलटैक्नीकों में चल रहा है । ये स्वयं सेवक गांवों में जाकर गलियों को साफ करते हैं तथा प्रौढ़ों को पढ़ाते हैं । एन0 एस0 एस0 कार्यक्रम को मुख्यत: दो भागों में बांटा जा सकता है ।

1. दैनिक कार्यक्रम

इसके अन्तर्गत सेवक अपनाये गये गांवों में सप्ताह के अन्त में या किसी समय में जो ग्रामीणों तथा स्वयं सेवकों के लिए उचित हो, योजनाओं पर कार्य करते हैं ।

2. विशेष शिविर कार्यक्रम

स्वीकृत संख्या के 50 प्रतिशत छात्र/छात्रायें 10 दिन के लिये विशेष शिविरों में भाग लेते हैं । ये स्वयं सेवक अपनाये गये गांवों में अधिकतर 10 दिन तक ठहरते हैं । ग्रामीणों के सहयोग से बनाई गई योजनाओं पर कार्य करते हैं । गांव वालों में प्रचलित विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों जैसे कि दहेज प्रथा, धुम्रपान तथा छुआछूत को उन्मूलन करने बारे चेतना पैदा करते हैं ।

रिपोर्टाधीन अवधि में एन0 एस0 एस0 परियोजना के लिये 75.94 लाख रुपये की राशि खर्च की गई ।

रक्तदान योजना के अन्तर्गत 2231 युनिटें रक्तदान की गई । वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत 137794 पेड़ लगाये गये ।

साक्षरता अभियान के अन्तर्गत 22854 स्वयं सेवकों द्वारा शतप्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया ।

———

अध्याय छठा

हरियाणा साहित्य अकादमी

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा साहित्य अकादमी का एक स्वायतशासी संस्था के रूप में गठन किया गया है ताकि (1) राज्य में साहित्यिक स्तर को उन्नत किया जा सके, सभी भाषाओं की साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके। हरियाणा की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके तथा (2) हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार की जा सकें ताकि माध्यम परिवर्तन में सुविधा हो। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अकादमी को दो भागों में बांटा गया है। साहित्य विकास प्रभाग तथा ग्रन्थ अकादमी प्रभाग।

(क) साहित्य विकास प्रभाग

1. पुस्तकों का प्रकाशन

हरियाणा की कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और लोक साहित्य पर अकादमी द्वारा पुस्तकें तैयार करवाई जाती हैं तथा उनका प्रकाशन किया जाता है। इन विषयों पर देश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा पी0 एच0 डी0 की डिग्री के लिये स्वीकृत शोध प्रबन्ध भी प्रकाशित किये जाते हैं। हरियाणा के लेखकों के हिन्दी तथा पंजाबी कहानियों, कविताओं, एकांकियों, निबन्धों के संकलन प्रकाशित किये जाते हैं। इस अवधि में हरियाणा के लेखों की रचनावलियां, हरियाणा के नगरों पर मोनोग्राफ, हरियाणा की गलियों पर मोनोग्राफ, हरियाणा की कलाओं पर पुस्तकें तथा हरियाणा के इतिहास एवं पुरातत्व पर लगभग 30 पुस्तकें लेखन/सम्पादन की प्रक्रिया में रहीं।

2. लेखक गोष्ठियों/साहित्यिक उत्सवों का आयोजन

राज्य में साहित्यिक वातावरण पैदा करने तथा लेखकों एवं आलोचकों को विचार विनिमय हेतु एक मंच पर एकत्रित करने के लिये हिन्दी, हरियाणवी, संस्कृत तथा पंजाबी लेखक गोष्ठियों/कवि सम्मेलनों तथा अन्य साहित्यिक उत्सवों का आयोजन किया जाता है। रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित आयोजन किये गये :–

(1) अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 24 मई, 1994, चण्डीगढ़ ।

(2) मुशायरा जशन-ए-आजादी 15 अगस्त, 1994, अम्बाला छावनी ।

3. साहित्यिक पुरस्कार

अकादमी द्वारा हर वर्ष हिन्दी, हरियाणवी, पंजाबी तथा संस्कृत में सर्वोत्तम साहित्यिक पुस्तकों के हरियाणा अधिवासी लेखकों को पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं । प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत दिये जाने वाले पुरस्कार की राशि अब 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गयी है । वर्ष 1993-94 के अन्तर्गत प्राप्त 35 पुस्तकों में से पांच पुस्तकें पुरस्कार के लिए चुनी गयीं । वर्ष 1994-95 के लिए आमन्त्रित प्रविष्टियों का मूल्यांकन करवाया गया । परिणाम संकलित किये जा रहे हैं ।

4. पुस्तक प्रकाशनार्थ सहायतानुदान

अकादमी द्वारा हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी तथा हरियाणवी के लेखकों को अपनी अप्रकाशित पुस्तकों को प्रकाशित करवाने के लिये सहायतानुदान दिया जाता है। जिन लेखकों की पाण्डुलिपियां अनुदान के लिये स्वीकृत की जाती हैं उन्हें 5,000 रुपये या प्रकाशन व्यय का 50% जो भी कम हो, के बराबर राशि अनुदान के रूप में दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित 10 पुस्तकों के प्रकाशन के लिये रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 40,000 रुपये की राशि सहायतानुदान के रूप में प्रदान की गयी । वर्ष 1993-94 के अन्तर्गत प्राप्त 23 पाण्डुलिपियों में से 7 पाण्डुलिपियां प्रकाशनार्थ अनुदान के लिये चुनी

गयी। वर्ष 1994-95 के लिये आमन्त्रित प्रविष्टियों का मूल्यांकन करवाया गया। परिणाम संकलित किये जा रहे हैं।

5. स्वैच्छिक साहित्यिक संस्थाओं को साहित्यिक समारोहों के आयोजन के लिए सहायतानुदान

राज्य की स्वैच्छिक साहित्यिक संस्थाओं को साहित्यिक समारोहों के आयोजन के लिए सहायतानुदान दिया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न आयोजनों के लिये सहायतानुदान हेतु राज्य भर से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर 8 साहित्यिक आयोजनों के लिये 15,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

6. हिन्दी कहानी प्रतियोगिता

राज्य के लेखकों को बढ़ावा देने के लिये अकादमी द्वारा हिन्दी कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वर्ष 1993-94 के अन्तर्गत प्राप्त 28 कहानियों में से 2 कहानियां पुरस्कार के लिये चुनी गई। वर्ष 1994-95 के लिये आमन्त्रित प्रविष्टियों के परिणाम संकलित किये गये।

7. साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन

अकादमी द्वारा "हरिगन्धा" नाम से एक द्विमासिक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसमें सृजनात्मक रचनाओं तथा कविताओं, कहानियों, ललित निबन्धों, एकांकियों के साथ-साथ समीक्षात्मक लेख तथा हरियाणा की कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य एवं लोक साहित्य पर लेख भी सम्मिलित किये जाते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित होती रही। महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती पर गांधी विशेषांक प्रकाशित किया गया।

8. साहित्यकारों का अभिनन्दन

अकादमी द्वारा लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यकारों के अभिनन्दन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं :—

(1) सूर पुरस्कार (किसी भी भाषा में)

(2) बाबू बालमुकुन्द गुप्त पुरस्कार (हिन्दी)
(3) महर्षि वेद व्यास पुरस्कार (संस्कृत)
(4) भाई सन्तोख सिंह पुरस्कार (पंजाबी)
(5) प0 लखमीचन्द पुरस्कार (हरियाणा की कला, संस्कृति, इतिहास, लोक साहित्य)
(6) डा0 राम मनोहर लोहिया के चिन्तन पर साहित्य पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक साहित्यकार को सूर पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये की राशि, उत्तरीय तथा प्रशस्ति पत्र भेंट किये जाते हैं। शेष पुरस्कारों की स्थिति में पुरस्कार राशि 11,000 रुपये है। वर्ष 1994-95 में यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी।

II. ग्रन्थ अकादमी प्रभाग

विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाने के लिये हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा मानविकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में मानक ग्रन्थों का निर्माण किया जाता है। विषय के विद्वानों से मौलिक पुस्तकें लिखवायी तथा प्रकाशित की जाती हैं। अन्य भाषाओं के स्तरीय प्रकाशनों का अनुवाद करवाया जाता है तथा उन्हें प्रकाशित किया जाता है। अकादमी द्वारा अब तक 198 पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं। ग्रन्थ निर्माण की प्रस्तुत योजना भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से कार्यान्वित की जा रही है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एक मौलिक पुस्तक प्रकाशित की गयी तथा एक पुस्तक मुद्रणाधीन रही। इस अवधि के दौरान 3 पुस्तकों के परवर्ती संस्करण निकाले गए तथा 6 पुस्तकों के परवर्ती संस्करण मुद्रणाधीन रहे। इस समय विभिन्न विषयों की 50 नयी पुस्तकें लेखनाधीन हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 7,40,00[illegible] ...स्तकों की बिक्री की गयी।

वर्ष 1994-95 में अकादमी में कोई नय[illegible]

NIEPA DC
D09713
... DOCUMENTATION ...
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9713
Date 05-11-97

2896—D.P.I.(H)—H.G.P., Chd.